न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या ::– 93/2014

सोहनलाल पिता भूरालाल जाती तेली निवासी बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
2. कमलेश पिता मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
3. मांगीबाई पत्नि मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
4. नानीबाई पत्नि नंदलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
5. लालीबाई पत्नि मोहनलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
6. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी
श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 व 5

निर्णय दिनांक :–17.12.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

वादी का वाद पत्र अ.धा. 53–188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री के.सी मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा बेगूँ पटवारी हल्का बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 1210 रकबा 0.8010 हैक्टर भूमि वादी हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिस्सा 1/3 अनुसार खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी मिल्कीयत होकर संयुक्त अविभाजित है जिसका विधि अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में आज तक विभाजन नहीं हुआ है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना हिस्सा विभाजन कराये उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 का हिस्सा 29/30 जो सम्पूर्ण रकबा का हिस्सा 29/90 बनता है प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को दिनांक 12.05.2014 को विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजियन करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 अजनबी क्रेता होने से वादी का प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 25.06.2014 को वादी को मौके पर आकर धमकी दी कि हमने भूमि खरीद ली है एवं हमारी जहां मर्जी होगी काश्त करेगें तुम्हारी जो मर्जी हो कर लेना जबकि कानूनन बिना विभाजन अजनबी क्रेता प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को वादी के संयुक्त काश्त की भूमि में बिना विभाजन प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।

यह कि वाद कारण दिनांक 25.0.6.2014 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादी को भूमि पर अपनी मर्जी से कब्जा कर लेने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान आप को प्राप्त है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न लिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है:–

1– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1210 रकबा 0.8010 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 जरिये बंटवारा विधिवत पृथक करवा राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकन कियके जाने की डिक्री प्रदान करावें।

2– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी की पुश्तैनी उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में किसी तरह अंतिम तौर पर भूमि विधिवत विभाजन होने तक दखलंदाजी नहीं करें एव भूमि में न तो स्वयं प्रवेश करें न ही अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें। साथ ही विभाजन पश्चात वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करें न करावें।

3– कि खर्चा मुकद्मा एवं वकील महनताना वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से दिलाया जावें।

4– अन्य कोई सहायता जो सुलभ हो वादी को प्रदान कराई जावें।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

उनका जवाब दावा न्यायालय द्वारा बंद किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यदि बंटवाडा किया जाता तो मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जावे क्यो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के आपस में बटवाडा होने से अपने अपने हक हिस्से को उपजाउ बनाने के लिए लाखों रूपये लगाकर सुधार करवाया अन्यथा सुधार का खर्च वादी से प्रतिवादीगण को दिलाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्रावली में कायम गई:-

1- आया कि मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1210 रकबा 0.8010 हैक्टर भूमि में वादी हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का हिस्सा 1/3 होने से वादी अपना हिस्सा 1/3 का विभाजन कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है?

वादी

2- आया कि वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन कब्जे अनुसार किये जाने में आपत्ति नहीं है यदि कब्जे से भिन्न बंटवारा हो तो प्रतिवादी सुधार खर्च प्राप्त करने का अधिकारी है?

प्रतिवादी

3- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी सोहनलाल द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.08.2019 को जिरह करते हुए वादी के बयान कलमबद्ध कराये साथ ही वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श- 1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श-2 एवं पंजीकृत विकय विलेख की छायाप्रति प्रदर्श- 3 करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये।

वादी के बयान कलमबद्ध होने के उपरान्त अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के बयान कलमबद्ध कराये जाने थे किन्तु प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार निवेदन की है। बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने पश्चात हमारे द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किये जाने पर पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी सोहनलाल पिता भूरालाल का हिस्सा 1/3 अंकित जिसे वह पृथक करा पाने का अधिकार रखता है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रथमिक डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ की आराजी संख्या 1210 रकबा 0.8010 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/-रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया जाता है कि वह विभाजन होने तक वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकर की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को विभाजन हेतु भिजवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में तलब किया जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/872 दिनांक 09.12.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा [illegible] म.प्र. भू-राजस्व संहिता [illegible] का [illegible] बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा अंतिम निर्णय लिया जाता है, मौजा [illegible] स्थित [illegible] की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1210 मेरो	0.2670	—	—
कीता- 01	0.2670 हैक्टर	—	—

2- श्रीमति नानीबाई पत्नि नन्दलाल, लालीबाई पत्नि मोहनलाल हिस्सा [illegible] सा. [illegible] कमलेश पिता मांगीलाल हिस्सा 1/4 श्रीमति कमलाबाई पत्नि कमलेश हिस्सा 1/4 [illegible] पिता मांगीलाल हिस्सा 1/60 जाति तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1210 मेरो	0.2759	—	—
1210 मेरो	0.2581	—	—
कीता- 02	0.5340 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ॥

([illegible])
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) [illegible]

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा पत्र संख्या :– 93/2014

सोहनलाल पिता भूरालाल जाती तेली निवासी बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
2. कमलेश पिता मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
3. मांगीबाई पत्नि मांगीलाल तेली निवासी बेगूँ
4. नानीबाई पत्नि नंदलाल धाकड निवासी गंडावरी तह0 बेगूँ
5. लालीबाई पत्नि मोहनलाल धाकड निवासी गंडावरी तह0 बेगूँ
6. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र गंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनिल शर्मा की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा ऑवलहेडा पटवार ऑवलहेडा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1210 मेसे	0.2670	–	–
कीता– 01	0.2670 हैक्टर	–	–

2– श्रीमति नानीबाई पत्नि नन्दलाल, लालीबाई पत्नि मोहनलाल हिस्सा 29/60 सा. मण्डावरी कमलेश पिता मांगीलाल हिस्सा 1/4 श्रीमति कमलाबाई पत्नि कमलेश हिस्सा 1/4 गोपाललाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/60 जाति तेली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1210 मेसे	0.2759	–	–
1210 मेसे	0.2581	–	–
कीता– 02	0.5340 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक .2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांकः–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ